न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 166/2018

1. सुरजीत पुत्र समुद्रदास जाति कमोह सिख निवासी चक 12 डी.ओ.एल.(बी) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. ओमप्रकाश पुत्र समुद्रदास जाति कमोह सिख निवासी चक 12 डी.ओ.एल.(बी.)तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घड़साना
दिनांक 11.05.2018

उपस्थिति–

श्री मोहनलाल छाबड़ा अभिभाषक अपीलांट

श्री महावीर बिश्नोई राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक– 04.07.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2018 के तहत कैम्प 2 के. एल.डी. में आदेश दिनांक 11.05.2018 से राज्य सरकार द्वारा चालू रास्तों को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के निर्देशों को देखते हुए चक 12 डी.ओ.एल–बी के प.नं. 35/10 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 के प्रत्येक में 0.025है0 कुल 0.125है0 भूमि पर रास्ता जो मौका पर चालू है, को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये तथा आदेश में यह भी अंकित किया कि स्वीकृतशुदा रास्ते की भूमि संबन्धित काश्तकार के खाता में दर्ज रहेगी। तहसीलदार राजस्व रावला नियमानुसार स्वीकृतशुदा रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

(A) उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट्स ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है। अपील के साथ अपीलांट ने देरी बाबत दफा 5 का प्रा. पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है।

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसील घडसाना के चक 12 डी.ओ.एल.(बी) का खाता सं. 61/57, प.नं. 35/10, मु.नं. 17 का कि.नं. 1 ता 25 जिसमें 6.0740है0 कमाण्ड भूमि एवं 0.2510 है0 खाला, राजस्व रिकार्ड में अपीलांट्स के नाम से मुश्तर्का दर्ज रिकार्ड है। जिसमें अपीलांट सं. 1 के नाम से 5.421है0 एवं अपीलांट सं. 2 के नाम से 0.904है0 कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट्स की उक्त वर्णित भूमि के कि.नं. 1 ता 5 एवं 6, 15, 15, 25 में मौका पर स्वीकृत खाला है एवं 0.251है0 भूमि खाला में आयी हुई है।

अधी. न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पटवारी के रिपोर्ट के आधार पर धारा 251क आर.टी.एक्ट के प्रावधानों के विपरीत जाकर कैम्प में रास्ता स्वीकृत कर दिया। अपीलांट इससे प्रभावित पक्षकार थे, लेकिन रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व उन्हें न तो तलब नहीं किया गया और न ही सुनवाई का अवसर दिया और न ही साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर दिये गये। अधी. न्यायालय ने उक्त आदेश विधि विरूद्ध पारित किया है।

अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर बिना देरी किये यह अपील दफा 5 के प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश की है। दफा 5 के प्रा.पत्र में देरी बाबत समुचित कारण अंकित किये गये है। अतः निवेदन है कि अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुए अधी.न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमावे।

(ii) विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय ने विधिसम्मत आदेश पारित किया है। इसमें कोई त्रुटि नही है। अधी. न्यायालय ने तहसीलदार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर ही चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया है। इसके अलावा विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया अपीलांट द्वारा यह अपील 5 माह पश्चात पेश की है। अतः अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

(a) हमने उभयपक्ष की गई बहस और पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि तहसीलदार राजस्व रावला ने अपने पत्रांक राजस्व/2018/202 दिनांक 01.05.2018 से उपखण्ड अधिकारी घडसाना को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 12 डी.ओ.एल.(बी) के प.नं. 35/10 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता मौके पर चालू है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

(b) तहसीलदार राजस्व रावला ने पटवारी रिपोर्ट 11.05.18 को मलू ही उपखण्ड अधिकारी घडसाना को प्रेषित कर दिया। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकन किया है कि चक 12 डी.ओ.एल. के मु.नं. 35/10 के कि.नं. 1/.025, 10/.025, 11/.025, 20/.025, 21/.025 कुल 0.125है0 अनकमाण्ड रकबा मौके पर रास्ता चालू है। उक्त रकबा के मु.नं. 35/10 में सुरजीत कुमार पुत्र समुद्रदास जाति कम्बोसिख, ओमप्रकाश पुत्र समुद्रदास जाति कम्बोसिख सा0 12 डी.ओ.एल.(बी) खातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज है।

(c) पत्रावली में रिपोर्ट में अंकित काश्तकारों को कोई नोटिस जारी करना नहीं पाया गया।

(d) अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अभियान न्याय आपके द्वारा 2018 के तहत कैम्प 02 केएलडी में पारित किया गया है।

(e) हम इस तर्क से सहमत है कि किसी पक्षकार की भूमि से कोई रास्ता मंजूर करते समय न्यायालय को धारा 251(ए) के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किया जाना आवश्यक है। तत्पश्चात प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति भी निर्धारित करनी चाहिए। प्रस्तुत मामले में पक्षकार को सुना नहीं गया, ना ही किसी आवेदन पर की गई कार्यवाही प्रतीत होती। ऐसी दशा में धारा 251(ए) के तहत जारी आदेश कतिपय अपूर्ण व अस्पष्ट प्रश्न छोड देता है व अनावश्यक वादकारण बढता है। धारा 251(ए) के तहत किसी आवेदक की मांग अत्यंतिक आवश्यकता की दशा में नये रास्तों बाबत प्रावधान है।

(f) किन्तु यह अपील यह कहते हुए दायर की गई है कि उपखण्ड अधिकारी ने आदेश 251(ए) क तहत जारी किया है। किन्तु निर्णय से स्पष्ट है कि निर्णय 251(ए) आर.टी.एक्ट के तहत नहीं करके प्रचलित रास्तों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के इस बाबत सर्कुलर के तहत लोकहित में जारी किया गया है, ना कि धारा 251(ए) के तहत। अतः ऐसे मामलों में धारा 251(ए) के प्रावधान लागू नहीं होते क्योंकि ऐसे मामलों में रास्ता पूर्व से ही विद्यमान व चालू होता है। अधी. न्यायालय को पंचायत प्रस्ताव व तहसीलदार रिपोर्ट तथा सम्बन्धित पक्षकार को

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते श्रीगंगानगर

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सुनकर मामले में लोकहित में कार्यवाही करने हेतु अग्रसर होना चाहिए। पुराने प्रचलित रास्तों के बाबत तहसीलदार को व पंचायत को रास्ता खोलने का अधिकार है। किन्तु उन्हें रिकार्ड में अंकन से पूर्व उपखण्ड अधिकारी को एक बार नोटिस देकर प्रभावित पक्षकार को सुनकर यथोचित आदेश देना चाहिए।

अतः अपील अंशतः स्वीकार करते हुए प्रकरण अधी. न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पुनः मामलें की जांच कर पंचायत प्रस्ताव लेकर तहसीलदार रिपोर्ट लेकर पक्षकारों को सुनकर पुराने प्रचलित रास्ते जिनका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं है के बारे में विस्तृत दिशा निर्देशों के तहत इस सम्बन्ध में विधितः विस्तृत निर्णय जारी करें।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)